

न्यायालय—नीलाम पत्र पदाधिकारी—सह—अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी।

—:: आदेश ::—

नी0प0मु0सं0-233 / 97-98

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,
नतुण्डी शाखा, बोकारो
बनाम्

गिरधारी उरॉव, पिता—स्व0 दिनु उरॉव,
ग्राम—रांगाटॉड, पोस्ट—अडिता, थाना—चन्दनकियारी, बोकारो।

21.06.2024 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नतुण्डी शाखा, बोकारो के द्वारा कुल राशि—1975.00 ₹60 देनदार गिरधारी उरॉव, पिता—स्व0 दिनु उरॉव, ग्राम—रांगाटॉड, पोस्ट—अडिता, चन्दनकियारी, बोकारो से वसूली करने हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने हेतु अधियाचना की गई थी। तदुपरांत उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली हेतु न्यायालय के द्वारा देनदार के विरुद्ध नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश तामिला हेतु गए कार्यालय प्रोसेस अनुसेवक के द्वारा तामिला प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि “श्रीमती आशा देवी, वार्ड सदस्या-07 के द्वारा नोटिस में अंकित किया गया है कि गिरधारी, उरॉव, पिता—स्व0 दिनु उरॉव, ग्राम—रांगाटॉड, पो0—अडिता, का निवासी था। इनकी मृत्यु हो गयी है।”

उक्त तामिला प्रतिवेदन के आधार पर देनदार का वैध उत्तराधिकारी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु न्यायालय पत्रांक—569, दिनांक—23.05.2023 के द्वारा अधियाची पदाधिकारी—सह—शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नतुण्डी शाखा को पत्राचार किया गया। पुनः न्यायालय पत्रांक—1054 दिनांक—06.07.2023 एवं पत्रांक—262 दिनांक—20.02.2024 के द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु स्मारित करने के बावजूद भी अधियाची पदाधिकारी के द्वारा देनदार का वैध उत्तराधिकारी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अधियाची पदाधिकारी के द्वारा उक्त वाद में कोई अभिरुचि नहीं ली जा रही है। इस कारण उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली की दिशा में कोई भी अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त के आलोक में अधियाची पदाधिकारी/प्रथम पक्ष के द्वारा अधियाचित राशि वसूली की दिशा में अभिरुचि नहीं लेने के कारण बिहार एवं उड़ीसा लोक मॉग वसूली अधिनियम 1914 की धारा—53(III) के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संबंधित को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0 /—

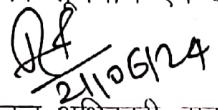
अंचल अधिकारी—सह—
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

ह0 /—

अंचल अधिकारी—सह—
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।

ज्ञापांक.....949...../चन्दनकियारी, दिनांक.....21.6.24.....

प्रतिलिपि:— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नतुण्डी शाखा, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


21/06/24
अंचल अधिकारी—सह—
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।